न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी नन्द किशोर राजोरा)

आर.ए.एस

प्रकरण सं./वाद पत्र/एल.आर./13/2019

महेन्द्र कुमारपुत्र श्री सोहनलाल जैन जाति महाजन निवासी बान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला अजमेर

(प्रार्थी)

बनाम

. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

स्थित :– 1. वकील अपीलाण्ट श्री महावीर गुर्जर

निर्णय दिनांक 27.02.2019

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा बान्दनवाडा के खसरा नं. 6246/2709 रकबा 0.29 किस्म बारानी–3 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी ना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 1 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का देश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। कार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। दौराने स प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया र्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व धिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा बान्दनवाडा के खसरा नं. 6246/2709 कबा 0.29 हैं0 प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक– बान्दनवाडा को 1,500/–रूपये क्षरे– एक हजार पॉच सौ रु0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी रा मौके पर अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त तबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय वं तिथी बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। पत्रावली ेसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, जिला अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.24 17:32:15 IST
Reason: SelfAttested